न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 44 / 2020 (2020 / 00449) दर्ज दिनांक 03.09.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

संशोधित प्रार्थना–पत्र

1. भैरू लाल आत्मज देवी लाल जाट निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मांगी पत्नि देवी लाल जाट निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र लेहरू गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गंगाराम पुत्र श्रीचन्द गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. देवीलाल पुत्र लेहरू गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. नाना पुत्र श्रीचन्द गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. नानी पत्नि स्व0 लेहरू गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भगवान लाल पुत्र स्व0 श्री लेहरू गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. भेरू लाल पुत्र स्व0 श्री बद्री लाल गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. भूरा लाल पुत्र स्व0 श्री बद्री लाल गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री बद्री लाल गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. पारसी पुत्री स्व0 श्री बद्री लाल गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. पुष्पा पुत्री स्व0 श्री बद्री लाल गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. प्यारी पत्नि स्व0 श्री बद्री लाल गाडरी निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक।
14. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड शाखा कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : प्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री सुशील कुमार जैन
विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 – श्री जगदीश चन्द्र व्यास
विपक्षी सं. 13 लगायत 14 – एकपक्षीय कार्यवाही
विपक्षी सं. 15 – पेरोकार सरकार

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 44 / 2020 (2020 / 00449)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u> ::

दिनांकः–23.10.2020

:: निर्णय ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद कांगणी पटवार हल्का कांगणी भू अलिलेख निरीक्षक क्षेत्र सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नं0 362 रकबा 1.65 हे0 , आराजी नं0 362/2667 रकबा 0.65 हे0 , आराजी नं0 363 रकबा 0.70 हे0 भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता कांगणी से खातीखेड़ा जाने वाले ग्रेवलयुक्त रास्ता जिसके आराजी नं0 459 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 की आराजी नं0 361 रकबा 0.29 हे0 किस्म बीड़ की पश्चिमी मेड़ से होकर अपनी आराजी नं0 362, 362/2627, 363 मे आते जाते है। जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाड़ी , संज, ट्रेक्टर आदि काफी समय से लाते ले जाते है। प्रा0 पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र सरल सुगम रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 12 ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षीया संख्या 01 लगायत 12 को दिनांक 20 अगस्त 2020 को रास्ते से अवरोध हटाने व रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

प्रार्थीगण ने धारा 251–ए आर0टि0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी तामिल विपक्षीगण को होने पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 द्वारा आराजी संख्या 361 रकबा 0.29 हे0 किस्म बीड़ की पश्चिमी मेड़ पर विपक्षीगण द्वारा दिनांक 09.09.2020 को जे0सी0बी0 मशीन से करीब 10 फीट गहरा खड्डा खोद कर कुआ खोदने पर आमादा है। जिसे न्यायहित में विपक्षीगण के खर्चे से पुनः भरवाकर समतल करा, रास्ता आवागमन शुरू कराया जाना आवश्यक है।रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान् [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 –ए की उपधारा (1) के [illegible] कांगणी पटवार हल्का कांगणी भू अलिलेख निरीक्षक क्षैत्र सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (रा[illegible]) में आराजी नं0 362 रकबा 1.65 हे0 ,

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

2.

Scanned with CamScanner

आराजी नं0 362/2667 रकबा 0.65 हे0 , आराजी नं0 363 रकबा 0.70 हे0 भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता कांगणी से खातीखेड़ा जाने वाले ग्रेवल युक्त रास्ता जिसके आराजी नं0 459 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 की आराजी नं0 361 रकबा 0.29 हे0 किस्म बीड़ की पश्चिमी मेड़ मे आता जाता है, जो 15 फीट चौड़ाई में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीगण सदैव तैयार है। विपक्षीगण द्वारा आराजी नं0 361 रकबा 0.29 हे0 किस्म बीड़ की पश्चिमी मेड़ पर खोदे गये खड्डे को भरवाया जाकर समतल कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 की ओर से बावजूद अवसर जवाब पेश नहीं किया गया जिससे जवाब बंद किया गया। विपक्षी सं. 13 लगायत 14 बाद तामील उपरान्त अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी सं. 15 पेराकार सरकार उपस्थित। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को लेकर मौका पर्चा तहसीलदार सहाडा के माध्यम से प्राप्त किया गया जिसमें यह व्यक्त किया गया कि ग्राम कांगणी की आराजी सं. 361 में मौके पर हाल ही में डोल डाल रखी है, खड्डा खोद रखा है तथा जुताई की गई है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रार्थीगण वर्तमान में अपनी आराजियात् में आवागमन नहीं कर रहे हैं।

प्रार्थीगण ने इस प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 व धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण सं. 01 लगायत 12 के खातेदारी अधिकार की आराजी सं. 361 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 15 फिट चौडा रास्ता दिलाये जाने की मांग कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी तामील विपक्षीगण को होने के बाद विपक्षीगण ने अपनी आराजी सं. 361 में मौके पर खड्डा खोद दिया जिसको पुनः भरवाकर समतल करा रास्ता आवागमन हेतु दिलाया जाकर प्रार्थीगण का आवागमन शुरु कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर मौका पर्चा का अवलोकन किया गया, जिसमें आराजी सं0 361 में हाल ही में खड्डा खोदा जाना व्यक्त कर रखा है जिससे न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 व धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया गया, तत्पश्चात् प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इस प्रकरण में संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको शामिल मिसल किया गया। इस प्रकरण में बहस सुनी गई, मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की उक्त आराजियात में आवागमन करने के लिये मौके पर ओर कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के [illegible] पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सरल व सुगम प्रतीत हो[illegible] द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 44/2020 (2020/00449)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाडा की सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी सं. 362 रकबा 1.65 हे., 362/2667 रकबा 0.65 हे., 363 रकबा 0.70 हे. भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी सं. 01 लगायत 12 की खातेदारी आराजी सं. 361 रकबा 0.29 हे. की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 15 फिट चौडा रास्ता का अंकन राजस्व नक्शें में करते हुए रास्ते के भूभाग को विपक्षी सं. 01 लगायत 12 की खातेदारी आराजी सं. 361 रकबा 0.29 हे. में से कम करते हुए रास्ते के भूभाग को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज अभिलेख किया जावे तथा प्रार्थीगण से प्रतिकर राशि 10,982/– रुपये प्राप्त कर विपक्षी सं. 01 लगायत 12 को अदा करने बाबत् सूचना पत्र 07 दिवस की समयावधि का प्रेषित किया जावे। यदि उक्त अवधि में विपक्षी सं. 01 लगायत 12 आपके माध्यम से प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करते हैं तो प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करते हुए उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित् की जावे तथा विपक्षी सं. 01 लगायत 12 द्वारा आराजी सं. 361 में मौके पर जो खड्डा खोदा गया है उसको अविलम्ब भरवाकर समतल कराया जावे।

(विकास पचोली)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

आदेश आज दिनांक 23.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner